



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30706

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
धारा 11(4) के अंतर्गत माध्यस्थम् और सुलह आवेदन संख्या - 33/2024
मेसर्स कालीचरण पांडेय एंड कंपनी.....आवेदकगण
बनाम
भारत संघ एवं 2 अन्य.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता :बिपिन कुमार जायसवाल, प्रतीक सिन्हा
विपक्षीगण के अधिवक्ता :ए.एस.जी.आई., मनु वर्धना

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल

पुनर्स्थापन आवेदन संख्या 4/2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रदर्शित कारण पर्याप्त पाया गया। दिनांक 15.12.2025 का आदेश प्रत्याहृत किया जाता है। वाद को उसकी मूल संख्या पर पुनर्स्थापित किया जाता है। आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 11.08.2023 को प्रतिवादी को एक सूचना/पत्र प्रेषित कर मध्यस्थता उपबंध का आह्वान किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने दिनांक 10.10.2023 को उत्तर प्रेषित कर उक्त आह्वान को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. विपक्षी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने पक्षकारों के मध्य विवाद के अस्तित्व संबंधी तथ्य का खण्डन नहीं किया।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त यह न्यायालय पाता है कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाही के क्षेत्राधिकार एवं सीमाओं पर पृथक विस्तृत विवेचन अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इस संबंध में विधिक स्थिति को उच्चतम न्यायालय की त्रिसदस्यीय पीठ द्वारा **मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन**, दीवानी अपील संख्या 7023/2019, निर्णय दिनांक 05.09.2019 में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें निम्नवत् प्रतिपादित किया गया है:

"वर्तमान विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015 के संशोधन से पूर्व इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, जिसके अंतर्गत यह परीक्षण भी सम्मिलित था कि क्या पूर्ण सहमति एवं संतुष्टि स्थापित हो चुकी है, अब विधायिका द्वारा निरस्त कर दी गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना कठिन है, क्योंकि धारा 11(6ए) का दायरा केवल मध्यस्थता अनुबंध के अस्तित्व की जांच तक सीमित है और इसका अर्थ संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में ही ग्रहण किया जाना चाहिए, जैसा कि **इयूरो फेल्गुएरा एस.ए. (सुप्रा)** के निर्णय में प्रतिपादित किया गया है – विशेषतः पैरा 48 एवं 59 का अवलोकन किया जाए।"

6. उक्त विधिक सिद्धांत प्रतिपादित करते समय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपने पूर्ववर्ती निर्णय **इयूरो फेल्गुएरा एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड**, (2017) 9 एस.सी.सी. 729 के पैरा 48 एवं 59 का संदर्भ दिया था।

7. उक्त विधिक स्थिति को उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय **गोकी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोक्राती टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड**, (2025) 2 एस.सी.सी. 192 में पुनः दोहराया है।

8. वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, प्रथमदृष्टया यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि पक्षकारों के मध्य एक मध्यस्थता उपबंध विद्यमान है। यह भी स्पष्ट है कि पक्षकार पारस्परिक सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति करने में सफल नहीं हो सके हैं; अतः वर्तमान आवेदन पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी का दायित्व इस न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जाना अपेक्षित है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. साथ ही, इस स्तर पर ऐसा कोई अंतिम निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा रहा है जिससे दावे के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव पड़े। यह विषय उचित चरण पर, उपयुक्त मंच द्वारा, दावा, आपति, चुनौती अथवा अपील प्रस्तुत किए जाने पर विचारार्थ रहेगा। अतः अन्य बातों के अतिरिक्त, विपक्षी पक्ष के लिए अधिनियम द्वारा अनुमत समस्त आपतियाँ उठाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10. उक्त समस्त उपाय एवं अधिकार संबंधित पक्षकारों के लिए पूर्णतः खुले रखते हुए, वर्तमान में केवल ऐसा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है जहाँ प्रस्तावित दावे तथा उसके प्रतिरोध का विधि के अनुसार निर्णय किया जा सके।

11. पक्षकारों की सहमति से यह न्यायालय श्री बिभूति नारायण सिंह, अधिवक्ता (ए.ओ.आर. संख्या ए/बी 0181/2012) (ई-मेल:- advsinghbibhutinarayan@gmail.com) (मोबाइल न0.-9450591217 / 9792947895) निवासी गृह संख्या सी.के.एन.-सी-189, चक निरातुल (जगमा हाता), पानी की टंकी के सामने), प्रयागराज, जो न्यायालय में उपस्थित हैं तथा जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, को पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों के निस्तारण हेतु मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करता है।

12. मध्यस्थ, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार अपने शुल्क एवं व्ययों के अधिकारी होंगे।

13. उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान मध्यस्थता आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

14. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना मध्यस्थ को प्रेषित करे।

(पीयूष अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

एसएएमजेड

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"